

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 165] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 22, 1972/ चैत्र 2, 1894

No. 165] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 22, 1972/CHAITRA 2, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March 1972

**S.O. 228(E).**—Whereas a seat has been allotted to the state of Meghalaya in the Council of states by the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, and an election has to be held to fill the seat;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 147 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby calls upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Meghalaya to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder a person to fill the vacancy so caused before the 10th April, 1972. (Monday).

[No. 100/CS-MEGH/3/72(1).]

## भारत निर्वाचन आयोग

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1972

एस० न० 228 (अ).—यतः, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 द्वारा मेघालय राज्य के लिए राज्य सभा में एक स्थान आवंटित किया गया है और उस स्थान को भरने के लिए निर्वाचन किया जाता है ;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 147 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग, मेघालय राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से एतद्द्वारा अपेक्षा करता है कि वे ऐसे हुई, रिक्ति को भरने का लिए 10 अप्रैल, 1972 (सोमवार) से पूर्व, उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[सं० 100/रा०स०-मेघा०/3/72(1)]

S.O. 229(E).—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 39 of the Representation of the people Act, 1951, the Election Commission hereby appoints for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-MEGH/3/72(1), dated the 22nd March, 1972:—

- (a) the 29th March, 1972 (Wednesday), as the last date for making nominations;
- (b) the 30th March, 1972 (Thursday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) the 1st April, 1972.. (Saturday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) the 8th April, 1972 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) the 10th April, 1972 (Monday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/CS-MEGH/3/72(2).]

एस० न० 229 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 39 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार मैं निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा०स०/मेघा०/3/72 (1), तारीख 22 मार्च, 1972 के अनुसरण में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के बारे में—

- (क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख 29 मार्च, 1972 (बुधवार)
- (ख) नामनिर्देशनों की समीक्षा की तारीख 30 मार्च, 1972 (बृहस्पतिवार)
- (ग) अभ्यर्थिता वापस लेने की अन्तिम तारीख 1 अप्रैल, 1972 (शनिवार)
- (घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हो, तो मतदान होगा 8 अप्रैल, 1972 (शनिवार) तथा
- (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा 10 अप्रैल, 1972 (सोमवार)

एतद्द्वारा नियत करता है।

[सं० 100/रा० स०-मेघा०/3/72/(2)]

**S.O. 230(E).**—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act 1951, the Election Commission hereby fixes the hours from 10.00 A.M. to 3.00 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-MEGH/3/72(1), dated the 22nd March, 1972.

[No. 100/CS-MEGH/3/72(3).]

**एस० अ० 230(अ).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के अनुसारग में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० सं०-मेघा०/3/72 (1), तारीख 22 मार्च, 1972 के अनुसारग मे राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए 10 बजे पूर्वान्ह से 3 बजे अपराह्न तक का समयउस समय के रूप मे एतद्द्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा ।

[सं० 100/रा० सं०-मेघा०/3/72(3)]

**S.O. 231(E).**—In pursuance of the provisions of section 21 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission, in consultation with the Government of Meghalaya, hereby designates the Secretary, Meghalaya Legislative Assembly, Shillong, as the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-MEGH/3/72(1), dated the 22nd March, 1972.

[No. 100/CS-MEGH/3/72(4).]

**एस० अ० 231. (अ)**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग, मेघालय सरकार के परामर्श से, अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० सं०-मेघालय/3/72(1), तारीख 22 मार्च, 1972 के अनुसारग मे राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए मेघालय विधान सभा, शिलोंग के सचिव को रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्द्वारा पदामिहित करता है ।

[सं० 100/रा० सं०-मेघा०/3/72(4)]

**S.O. 232(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby appoints the officer on special Duty (Elections), Shillong, to assist the Returning Officer for the election to the Council of States to be held in pursuance of its notification No. 100/CS-MEGH/3/72(1), dated the 22nd March, 1972, in the performance of his functions.

[No. 100/CS-MEGH/3/72(5).]

By order,

A. N. SEN, Secy.

**एस० अ० 232 (अ)** —लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/रा० सं०-मेघा०/3/72(1), तारीख 22 मार्च, 1972 के अनुसारग में राज्य सभा के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर को उस के कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए विशेष कार्य अधिकारी (निर्वाचन) शिलोंग, की एतद्द्वारा नियुक्ति करता है ।

[सं० 100/रा० सं०-मेघा०/3/72(5)]

आदेश से,

ए० एन० सैन, सचिव ।

